



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 27.03.2026

थाना खागा पुलिस द्वारा नयी बाजार कस्बा खागा से ई-रिक्शा की डिग्गी का ताला तोड़कर 6700/रू० चोरी करने वाले शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 6700 रुपये नगद बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.03.2026 को वादी मोनू पुत्र राम भरोसे साहू निवासी ग्राम तिलकापुर थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीरी सूचना दिनांक 25.03.2026 समय करीब 12.00 बजे दोपहर वादी के ई-रिक्शे की डिग्गी का ताला टोड़ कर 6700 रुपये चुरा लेने के संबंध में थाना खागा पर मु०अ०सं०- 85/26 धारा 305(B) बीएनएस बनाम शोएब पुत्र शहीद निवासी मुचवापार कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक खागा के कुशल नेतृत्व में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मु०अ०सं०- 85/2026 की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के परिणाम स्वरूप नामजद अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 27.03.2026 को थाना खागा पुलिस द्वारा पश्चिमी बाईपास अन्डरपास खागा के नीचे से अभियुक्त शोएब पुत्र शहीद कुरैशी निवासी मुसबापर पक्का तालाब कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी से पैट की दाहिनी जेब से 6700 रुपये जिसमें 500 रुपये के 13 नोट व 200 रुपये का 01 नोट बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना खागा पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमा में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.03.2026 को एक रिक्शा गौतम ट्रेडर्स गली नयी बाजार कस्बा खागा के पास खड़ा था। रिक्शे के पास कोई नहीं था तथा रिक्शे की डिग्गी में ताला लगा हुआ था। मैंने डिग्गी का ताला तोड़ा तो उसमें मुझे 6700 रुपये मिले जिनको मैंने चोरी कर लिया था। जो आपने मेरी जेब से पैसे लिये हैं यह चोरी किये हुये पैसे ही है, जो मैंने रिक्शे की डिग्गी से चुराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शोएब पुत्र शहीद कुरैशी निवासी मुसबापर पक्का तालाब कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 6700 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 85/26 धारा 305(B)/ 317(2) भादवि० थाना खागा जनपद फतेहपुर
2. मु०अ०सं०- 328/20 धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना खागा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० अनीश कुमार सिंह थाना खागा, फतेहपुर
2. आरक्षी बन्टी कुमार थाना खागा, फतेहपुर